[2019] 1 एस.सी.आर. 51

मोनू प्रति उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य।

आपराधिक अपील सं० 21/2019, निर्णय दि० 07 जनवरी, 2019

पीठ–न्यायमूर्ति अजय मनोहर सप्रे

न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी

आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा– 482 – आरोप–पत्र रद्दीकरण –आरोपपत्र प्रेषण अंतर्गत धारा 420, 498क, 323, 376, 506 भा०द०स० तथा धारा–3 व 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961– आरोपपत्र रद्दीकरण हेतु धारा 482 द०प्र०स० के अंतर्गत याचिका योजित – अंतर्गत धारा 482 द०प्र०स० आक्षेपित आदेश के माध्यम से उच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर याचिका निरस्त कर दी गयी कि सत्र न्यायाधीश के आदेश में, विधि की दृष्टि में, कोई अवैधता या दोष नहीं है और न ही आदेश में हस्तक्षेप का कोई अच्छा आधार है– अपील किये जाने पर,

धारित– आक्षेपित आदेश में, वाद के तथ्यात्मक अंश की कोई विवेचना नहीं की गयी–आदेश तार्किक नही था और न ही प्रकरण के संबंध में मस्तिष्क का प्रयोग परिलाक्षित होता था– प्रकरण नए सिरे से विचार हेतु उच्च न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया– निर्णय/आदेश– अतर्किक आदेश।

अपील स्वीकार करते हुए तथा प्रकरण को उच्च न्यायालय प्रतिप्रेषित करते हुए न्यायालय द्वारा यह धारित किया गया कि–

धारित– एकल न्यायाधीश को सर्वप्रथम वाद के संक्षिप्त तथ्य, तथ्यात्मक अंश को समझने की दृष्टि से विनिर्धारित करना चाहिए था और फिर अपीलकर्ता द्वारा उद्धृत आधारों पर निष्कर्ष अभिलिखित करने के उद्देश्य से, कार्यवाही को चुनौती के प्रश्न पर परीक्षण करना चाहिए था कि क्या इसमे हस्तक्षेप हेतु कोई मामला बनता है या नहीं। उक्त अभ्यास, उच्च न्यायालय द्वारा, अतार्किक आक्षेपित आदेश, जो मस्तिष्क का प्रयोग परिलक्षित नही करता, पारित करते समय नहीं किया गया।[प्रस्तर–10, 11] [53–बी–डी]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील सं० 21/2019

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा याचिका सं० 33965/2018 में पारित निर्णय/आदेश, दि० 29.10.2018 से,

अपीलार्थी अधिवक्ता–विवेक गुप्ता, प्रणव कश्यप, मृण्मय भट्ट मेवाड़ा, अनिरूद्ध जोशी;

प्रत्यर्थी अधिवक्ता– कृष्णा नन्द पाण्डेय

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे द्वारा उद्घोषित किया गया।

1.अनुमति अनुदत्त

2.यह अपील, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा याचिक सं० 33965/2018, धारा 482 द०प्र०स० में पारित अंतिम निर्णय/आदेश, दि० 29.10.18 के विरूद्ध योजित है, जिसके माध्यम से उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया गया था।

3. इस अपील में अंतर्वलित लघु विवाद की विवेचना हेतु कुछ तथ्यों का उल्लेख करने की आवश्यकता है, जो निम्नवत है–

4. आक्षेपित आदेश द्वारा, एकल न्यायाधीश ने धारा 482 द०प्र०स० के अंतर्गत योजित, प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया, जिसमें, सत्र परीक्षण सं० 798/2017,राज्य प्रति मोनू अन्तर्गत धारा 420, 498A, 323, 376, 506 भा०द०स० व 344 द०प्र०अधि०, थाना महिला थाना, जिला मुजफ्फरनगर में प्रेषित आरोप पत्र दिनांक 18.09.15 तथा अपर सत्र न्यायाधीश/ त्वरित न्यायालय–तृतीय, मुजफ्फर नगर द्वारा विरचित आरोप, दि० 22.09.2017 को अपास्त करने की चुनौती दी गई थी।

5. इस अपील में विचारणार्थ उद्भूत लघु प्रश्न यह है कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 द०प्र०स०निरस्त किया जाना न्यायसम्मत था?

6. पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्तागण को सुना।

7. पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने तथा वाद के अभिलेख का परिशीलन करने के उपरांत, हम आक्षेपित आदेश को अपास्त करने तथा वाद को, उच्च न्यायाल को, नए सिरे से, विधि के अनुसार, गुणदोष पर, अपीलार्थी के प्रार्थनापत्र को, जिससे यह अपील उद्भूत हुई, निर्णीत करने के लिए प्रतिप्रेषित करने हेतु विवश हैं।

8. आक्षेपित आदेश के परिशीलन से हम पाते हैं कि एकल न्यायाधीश द्वारा निम्नलिखित आदेश के माध्यम से प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया –
'मैंने आक्षेपित आदेश का अवलोकन किया है और मै पाता हूं कि विधि की दृष्टि में कोई अवैधता या दोष नहीं है। मुझे आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप हेतु कोई अच्छा आधार नही मिलता"।

9. हम आक्षेपित निर्णय को पढ़ने के उपरांत, वाद के तथ्यात्मक अंश की विवेचना करने से भी बहुत कम जानने में असमर्थ हैं।

10. हमारे विचार में, एकल न्यायाधीश को सर्वप्रथम वाद के संक्षिप्त तथ्य, तथ्यात्मक अंश को समझने की दृष्टि में विनिर्धारित करना चाहिए था और फिर अपीलार्थी द्वारा उद्धृत आधारों पर निष्कर्ष अभिलिखित करने के उद्देश्य से, कार्यवाही को चुनौती के प्रश्न पर, इस न्यायालय द्वारा निर्धारित विधिक सिद्धांतों के प्रकाश में, परीक्षण करना चाहिये था कि क्या इसमे हस्तक्षेप हेतु कोई मामला बनता है या नही।

11. हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त अभ्यास अतार्किक आक्षेपित आदेश पारित करते समय नहीं किया गया, जिससे वाद के संबंध मे मस्तिष्क का प्रयोग परिलक्षित नहीं होता है।

12. इसलिए, हम, उच्च न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र के इस प्रकार के असंयत/ बेढंगे निस्तारण से सहमत होने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं तथा आक्षेपित आदेश को अपास्त करने एवं उपरोक्त प्रेक्षण को दृष्टिगत रखते हुए, विधि के अनुसार, गुण दोष पर, नए सिरे से, प्रार्थना पत्र को निर्णीत करने के अनुरोध के साथ, उच्च न्यायालय (एकल न्यायाधीश) को वाद को प्रतिप्रेषित करने हेतु इच्छुक अनुभूत करते हैं।

13. हमारे उपरोक्त तर्कों के आलोक मे, वाद को प्रतिप्रेषित करने की एक राय बन जाने के दृष्टिगत, हम वाद के गुणदोष मे जाना उचित नहीं पाते हैं।

14.पूर्वोक्त चर्चा के दृष्टिगत, अपील सफल होती है, तदनुसार स्वीकार की जाती है। आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है। इस आदेश में, हमारे किसी भी प्रेक्षण से अप्रभावित होकर, गुणदोष पर निर्णय हेतु वाद को उच्च न्यायालय प्रति प्रेषित किया जाता है।

अपील अनुमत।

देविका गुजराल

Digitally signed by Gyanendra Tripathi
Date: 2023.11.01 15:12:54 UTC
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court